न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 316/2015

उनवान

1. रामा पिता होमजी जाति भील निवासी लौहारियापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थी

बनाम

1. देवा पुत्र लसा जाति ढोली निवासी लौहारियापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
2. तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 17 राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना की भूमि का आवंटन एंव विकय) नियम 1984

निर्णय

दिनांक: 27/3/2018

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी ने प्रशासन गांव के संग शिविर में आवंटन अधिकारी के समक्ष गलत व झूठे तथ्य पेश कर हल्का पटवारी से मिलकर सर्वे नम्बर 1607 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा गांव लौहारियापाडा पटवार हल्का भगोरा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में स्थित भूमि का विधि विरूद्व दिनांक 20.10.2001 को आवंटन करा दिया उक्त नये सर्वे नम्बर 2764 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा पुराने सर्वे नम्बर 1607 से बना प्रथम सेटलमेंन्ट में नया सर्वे नम्बर 2764 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा है एव इस सर्वे नम्बर का वर्तमान नम्बर 3829 है जिसमें से 0.28 हे0 भूमि श्रीसरकार बताकर अप्रार्थी के नाम आवंटन कर दी गई है। जबकि वर्तमान सर्वे नम्बर 3829 प्रार्थी के खाते और कब्जे की भूमि है जो पुराने सर्वे नम्बर जो प्रार्थी को सन् 1965 में आवंटन की गई है। तथा प्रार्थी को आवंटित किये गये पुराने सर्वे नम्बर 1607 से प्रथम सेटलमेंन्ट के दौरान् सर्वे नम्बर 2764 बना है जिसका वर्तमान सर्वे नम्बर 3828 हैइसमें से नया सर्वे नम्बर 7019/3828 रकबा 0.16 हे0 भूमि अप्रार्थी को अवैध व गैर कानूनी तरीके से आवंटन के उक्त नियमो की पालना नही करते हुऐ उक्त दोनो वर्तमान नये सर्वे नम्बर 7019/3828 व 3829 रकबा 0.28 हे0 भूमि गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थी को आंवटित कर दी है, जबकि उक्त भूमि पर आज भी प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा उसका कब्जा है एंव पिछले 30–35 वर्षो से काबिज होकर कब्जा चला आ रहा है। एंव प्रार्थी का मकान बना हुआ हैं। परन्तु अप्रार्थी ने राजस्व कर्मचारी से व हल्का पटवारी से मिलकर गलत तथ्य पेश कर विधि विरूद्व आवंटन करवाया हैं जो कि विधि

पत्रावली जवाब में नियत की जाने पर प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी की ओर से हमराह प्रार्थी षक राजीनामा पैश हुआ जो तत्समय राजीनामा तस्दीक नही होना पाया जाने पर प्रार्थी व र्थी को पुनः उपस्थित रखने निर्देशित किया गया। तथा प्रार्थी व अप्रार्थी ने पुनः न्यायालय में स्थित होकर उनकी ओर से पूर्व में प्रस्तुत राजीनामे को दोहराया गया।

अतः प्रार्थी एंव अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा मे वर्णित मौजा भगोरा पटवार हल्का भगोरा तहसील गढ़ी के सर्वे नम्बर 7019/3828 रकबा 0.16 हे0 भूमि में प्रार्थी श्री देवा पिता लसा जाति ढ़ोली निवासी लौहारिया पाड़ा के नाम किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गढ़ी को आदेशित किया जाता है। उक्त निर्णय अनुरूप पालना करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 27/3/2018 को सुनाया गया।

(पूजा कुमारी पार्थ)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा